UPBL010031282026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बलिया।

पीठासीन अधिकारी- श्री अनिल कुमार झा, (एच 0 जे0 एस 0)

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1363/2026

1. अतुल सिंह पुत्र कुंवर प्रवीण सिंह, साकिन– हल्दी पश्चिम टोला, थाना–हल्दी, जिला–बलिया ।
2. शिवम सिंह पुत्र नथुनी सिंह, साकिन– सुल्तानपुर, थाना–हल्दी, जिला–बलिया ।
3. आदित्य सिंह पुत्र कुंवर प्रवीण सिंह, साकिन– हल्दी पश्चिम टोला, थाना–हल्दी, जिला–बलिया ।

... ... .आवेदकगण/अभियुक्तगण

प्रति

उ० प्र० राज्य

... ...विपक्षी

मु0 अ 0 सं0–29/2026
धारा–190, 191(2), 191(3)बी0 एन 0 एस 0
थाना–हल्दी, जिला–बलिया।

दिनांकः–09.07.2026

1– यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रार्थी/अभियुक्तगण अतुल सिंह, शिवम सिंह व आदित्य सिंह की ओर से मु0 अ 0 सं0–29/2026, अन्तर्गत धारा–190, 191(2), 191(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना–हल्दी, जिला बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से शपथकर्ता कुंवर प्रवीण सिंह द्वारा द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना इसी अपराध में धारा 109 (1), 3(5) बीएनएस व 3/5 व 4/25 आर्म्स एक्ट में गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है।

3– प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

4– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अभिमन्यु सिंह पुत्र स्व० नरसिंह सिंह निवासी भरसौता का रहने वाला है। दिनांक 9/2/2026 की रात्रि में करीब 9 बजे उसके पुत्र आयुष सिंह को हल्दी पश्चिम टोला के रहने वाले आशीष सिंह पुत्र दिनेश सिंह, आदित्य सिंह पुत्र कुंवर प्रवीर सिंह, अतुल सिंह पुत्र कुवर प्रवीर सिंह निवासीगण पश्चिम टोला हल्दी व शिवम सिंह पुत्र नथुनी सिंह निवासी सुलतानपुर हल्दी थाना हल्दी जनपद बलिया व अन्य अज्ञात बदमाशो ने जान से मारने की नियत से असलहे से गोली मार दी। यह घटना हल्दी ढाला के पास घटित हुई। शोर गुल सुनकर आस–पास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो अपराधी असल्हा लहराते हुए मौके से भाग गए। जिसके बाद उसके बडे भाई और परिवार के लोग घायल आयुष को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहा उसकी हालत गम्भीर हो गई। और डाक्टरो ने उन्हे हायर सेन्टर अस्पताल हेतू रेफर कर दिया। वादी के उपरोक्त प्रार्थनापत्र के आधार प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5– प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की उपरोक्त मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 109 (1), 3(5) बीएनएस व 3/5 व 4/25 आर्म्स एक्ट मे स्वीकार किया जा चुका है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोप पत्र आ चुका है तथा आरोप पत्र मे धारा 190, 191(1) व 191(3) की बढ़ोत्तरी हो चुकी है। आवदेकगण लगभग 4 माह से जेल में है । अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को द्वितीय जमानत पर छोड़ दिया जाय।

6– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने इस आशय का तर्क दिया गया कि

Digitally signed by ANIL KUMAR JHA
Date: 2026.07.09 17:52:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना इसी अपराध में धारा 109 (1), 3(5) बीएनएस व 3/5 व 4/25 आर्म्स एक्ट में गुणदोष के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। उक्त आधार पर द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7– पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्तगण की उपरोक्त मुकदमे में जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 109 (1), 3(5) बीएनएस व 3/5 व 4/25 आर्म्स एक्ट मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। विवेचना उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध में धारा 190, 191(2), 191(3) बी0 एन 0 एस 0 की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के कारण यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण का मुख्य धारा में जमानत स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, प्रार्थी/अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण अतुल सिंह, शिवम सिंह व आदित्य सिंह का उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। मा० उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य** व अन्य, न्यूट्रल साइटेशन 2025 ए०एच०सी० 136034 में पारित आदेश दिनांकित 12.08.2025 के पैरा–46 में दिए गये निर्देश के अनुक्रम में प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को संबंधित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अधीन 50,000/– रूपये का स्वबन्धपत्र एवं उसी धनराशि का एक प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर छोड़ा जाएगा–

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगे,
2. प्रार्थी/अभियुक्तगण वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगे,
3. प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
4. प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगे,
5. प्रार्थी/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 09.07.2026

Steno–R.S.Sen

(अनिल कुमार झा)
सत्र न्यायाधीश
बलिया।
ID No. UP 06529